



कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495001

फोन : 07752-227624 फैक्स : 07752-221385 E-mail : ccfc.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक./ 2229

बिलासपुर, दिनांक 02-8-23

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,
(भू-प्रबंध)
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

विषय : कोरबा जिले के कोरबा वनमण्डल, अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु जियो डिजिटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा Laying of OFC along with RoW (Road Corridor) under Network strengthening and Providing Connecting to Rural Areas in Korba District of Chhattisgarh हेतु क्षेत्रफल 6.713 हे. पंजीयन बाबत।

संदर्भ : वनमण्डलाधिकारी कोरबा का पत्र क्र./तक.अधि./1327 दिनांक 22.07.2023

विषयांतर्गत लेख है कि कोरबा जिले के कोरबा वनमण्डल के अंतर्गत गैर वानिकी कार्य Optical Fiber Cable Line हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार आवेदक जियो डिजिटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया है विवरण निम्नानुसार है :-

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव			
क्र.	अभिलेख का विवरण	पृ.क्र.	विवरण
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र	01	आवेदनकर्ता, जियो डिजिटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड रायपुर छ0ग0 द्वारा 6.713 हे. वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।
2	प्रपत्र 1 में रजिस्ट्रेशन कोड वर्ष पंजीयन क्रमांक	02-10	रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/OFC/150589/2021 आवंटित किए गए हैं।
3	3 वन क्षेत्र विवरण	11-17	संलग्न है।
4	गैर वनक्षेत्र विवरण	18-19	संलग्न है।
5	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोग्राफी 1:50000 स्केल पर	20-21	संलग्न है।
6	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप	22	संलग्न है।
7	प्रपत्र -4 में प्रस्ताव	23-31	संलग्न है।
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप	32	संलग्न है।
9	न्यूनतम वन क्षेत्र की उपयोगिता प्रमाण पत्र	33	संलग्न है।

10	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो/जिम्मेदारों अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही	34	संलग्न है।
11	वनअधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा, नाम, पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगा	35-49	संलग्न है।
12	ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र	50	संलग्न है।
13	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र	51	संलग्न है।
14	जिले की कुल वन भूमि	52	कोरबा जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) वन भूमि रकबा 205090.100 हे. है।
15	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि	53	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा 3774.223 हे. है।
16	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि	54	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि 0.650 है।
17	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी	55	संलग्न है।
18	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ती प्रमाण पत्र	56-57	संलग्न है।
19	राजस्व वैन भूमि हेतु कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र	58-61	संलग्न है।
20	पंजीयन क्रमांक - पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण	62	संलग्न है।
21	राष्ट्रीय उद्यान /वन्यप्राणी अभ्यारण्य के अंदर से जो ओ एफ सी गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसा	63	संलग्न है।

प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के वेब साइट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

अतः वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव 4 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

पृ. क्र./तक./ 2230

प्रतिलिपि :- 1. वनमण्डलाधिकारी, कोरबा वनमण्डल, कोरबा की ओर सूचनार्थ।

2. जियो डिजिटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड रायपुर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर
बिलासपुर/दिनांक 02/8/2023

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

मुख्य वनसंरक्षक अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-3

(संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वनसंरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

आवेदनकर्ता, जियो डिजिटल फाईबर प्राइवेट लिमिटेड रायपुर छ0ग0 द्वारा कोरबा वनमण्डल में Optical Fiber Cable Line हेतु प्रस्तावित संरक्षित/ नारंगी/राजस्व वनभूमि रकबा 6.713 हे. का वन व्यपवर्तन प्रस्ताव वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रभावित वनभूमि का स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है।

15. क्या संबंधित मुख्य वनसंरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वनसंरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

अनुशंसित

दिनांक 02/08/2023

(राजेश कुमार चंदेले) भा.व.से.

मुख्य वन संरक्षक

बिलासपुर वृत्त बिलासपुर